52 पशु मुक्त, चार वाहन जब्त, आरोपी फरार

उमरिया, देशबन्धु। पशु तस्करी के खिलाफ उमरिया पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर चार अलग-अलग मामलों में प्रकरण दर्ज किए हैं। इस कार्रवाई में दो ट्रक और दो पिकअप वाहन जब्त किए गए हैं, जबकि 52 पशुओं (पड़ा/भैंस) को रेस्क्यू किया गया है।

पुलिस अधीक्षक निवेदिता नायडू के निर्देशानुसार, जिले के थाना और चौकी प्रभारियों को अवैध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने और त्वरित कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। इसी क्रम में मानपुर थाना पुलिस और चौकी सिविल लाइन थाना कोतवाली पुलिस ने पशु तस्करों के खिलाफ एक के बाद एक चार मामलों में कार्रवाई की।

पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 24 घंटे में चार मामले दर्ज

पहली कार्रवाई- मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर मानपुर थाना पुलिस ने पिकअप वाहन (क्रमांक यूपी 12 सीटी 1746) का पीछा कर मझौली तिराहे के पास रोका। चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने पिकअप को जब्त कर उसमें से दो पशुओं (पड़ा) को रेस्क्यू किया। इस मामले में पशु क्रूरता अधिनियम और एमवी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

दूसरी कार्रवाई- इसी प्रकार, मानपुर पुलिस ने दूसरी पिकअप (क्रमांक यूपी 73 ए 7445) को रोककर जांच की। चालक मौके से फरार हो गया। वाहन से छह मवेशियों (पड़ा) को बरामद किया गया। पुलिस ने इस वाहन को भी जब्त कर आरोपी के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम और एमवी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया।

तीसरी कार्रवाइ- मानपुर पुलिस ने तीसरी बड़ी कार्रवाई करते हुए ट्रक (क्रमांक सीजी 31 बी 8590) का पीछा कर डोडका तिराहे के पास रोका। इस दौरान चार आरोपियों शहनवाज अहमद निवासी अकरमपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, फिरोज कुरैशी निवासी कोतमा, अनुपपुर, एहसान खान निवासी कोतमा, मोहम्मद उर्फ कल्लू बाबा शकील को गिरफ्तार कर लिया गया।

ट्रक से कुल 24 पशु (पड़ा) बरामद किए गए। आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम, मध्यप्रदेश कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम, बीएनएस 112, 3(5) और एमवी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर ट्रक को जब्त किया गया।

चौथी कार्रवाई- चौकी सिविल लाइन थाना कोतवाली पुलिस ने भी मुखबिर की सूचना पर ट्रक (क्रमांक एमपी 17 एचएच 3047) का पीछा कर कछरवार तिराहे के पास पकड़ा। चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर उसमें से 20 पशुओं (पड़ा/भैंस) को रेस्क्यू किया।

इस मामले में भी पशु क्रूरता अधिनियम और एमवी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। कुल 52 पशु रेस्क्यू, 4 वाहन जब्त-उमरिया पुलिस द्वारा की गई इन चारों कार्रवाई में कुल दो ट्रक और दो पिकअप वाहनों को जब्त किया गया है, जिनसे कुल 52 पशुओं को रेस्क्यू किया गया। इन मामलों में फरार आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस की इस तत्परता से पशु तस्करी पर अंकुश लगाने में सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक निवेदिता नायडू ने कहा कि जिले में अवैध गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी।

राष्ट्रीय सेपक टकरा प्रतियोगिता में खेलेंगे दो खिलाड़ी

शहडोल, देशबन्धु। फुटबॉल के क्षेत्र में शहडोल के खिलाड़ियों का राष्ट्रीय प्रतियोगिता में चयन होने की रोजाना खबर आ रही थी। लेकिन अब सेपक टकरा खेल के लिए दो खिलाड़ियों का चयन शालेय राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए हुआ है, जो शहडोल के लिए गौरव की बात है।

सहायक संचालक खेल व (एनआईएस) फुटबॉल कोच रईस अहमद ने इस संबंध में बताया कि शालेय राज्य स्तरीय 17 वर्ष बालक-बालिका सेपक टकरा प्रतियोगिता का आयोजन गत दिनों छतरपुर मे हुआ था। जिसमे उत्कृष्ट खेल के आधार पर शान्ति देवी मेमोरियल पब्लिक स्कूल शहडोल कक्षा 9 वी के वेदांत मिश्रा एवं अशासकीय राजपूत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अमराहा कक्षा 9 वी की निशा कोल का चयन शिक्षा विभाग से हुआ है।

सहायक संचालक श्री अहमद ने बताया कि दोनों खिलाड़ी 15 से 21 अप्रैल तक इम्फाल (मणिपुर) में आयोजित 68 वीं शालेय राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता का प्री नेशनल कोचिंग कैंप 8 से 12 अप्रैल तक इंदौर मे आयोजित होगा। राष्ट्रीय स्तर पर चयनित खिलाड़ियों को कलेक्टर डॉ. केदार सिंह, पुलिस अधीक्षक राम जी श्रीवास्तव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व प्रभारी खेल और युवा कल्याण अभिषेक दीवान ने बुके देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर सहायक संचालक खेल व (एनआईएस) फुटबॉल कोच रईस अहमद, जिला खेल और युवा कल्याण सोहागपुर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर - अजय सोंधिया, शान्ति देवी मेमोरियल पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर राजन शर्मा, समन्वयक कु. शुभांगी श्रीवास्तव, स्पोर्ट्स कोच राम किशोर चौरसिया, राजपूत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अमरहा के डायरेक्टर अभय राज सिंह और स्पोर्ट्स कोच पंकज सिंह राजपूत भी उपस्थित रहे।

सार-समाचार

सिंधु सभा ने शहीद हेमू कालाणी की मनाई जयंती

उमरिया, देशबन्धु। उमरिया जिले के पाली नगर में कृष्णा ऑटो हीरो शोरूम में भारतीय सिंधु सभा के व्दारा शहीद हेमू कालाणी जी की जयंती मनाई गई इस दौरान शहीद भगत सिंह राज गुरु सुखदेव जी को याद किया गया ईस कार्यक्रम मे भारतीय सिन्धु सभा के अध्यक्ष गोपाल वासवानी महामंत्री विजय जगवानी भारतीय सिन्धु सभा के युवा अध्यक्ष योगेश वैजवानी धनराज मल जगवानी राजा वासवानी हरीश प्रेमचंदनी किशोर श्यामवानी लक्ष्मी चंद प्रेमचंदानी एवम समाज के अन्य लोग उपस्थित रहे उक्त कार्यक्रम भगवान दास सबनानी राजेश वाधवानी गौतम राज के मार्ग दर्सन मे मनाया आयोजित किया गया।

घुनघुटी-मुदरिया रेलवे ट्रैक पर हादसा, चलती ट्रेन से गिरकर युवक गंभीर रूप से घायल

उमरिया, देशबन्धु। उमरिया जिले में रेल हादसे में बुढ़ार निवासी घनश्याम सिंह (30 वर्ष) गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना घुनघुटी-मुदरिया रेलवे ट्रैक के बीच हुई। घनश्याम पूरी-बलसाड़ एक्सप्रेस से दूसरे प्रदेश में रोजगार की तलाश में जा रहा था। हादसे में युवक के सिर और पैर पर गंभीर चोट आई है। फिलहाल उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

जानकारी के अनुसार घनश्याम सिंह पिता बालगोविंद सिंह, ग्राम नवगई (बुढ़ार) के निवासी है। वह पूरी-बलसाड़ ट्रेन में सफर कर रहे थे, लेकिन घुनघुटी-मुदरिया के बीच अचानक ट्रेन से गिर गए। हादसे के बाद रेलवे ट्रैक पर काम कर रहे एक गैंगमैन ने उन्हें देखा और तुरंत इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही 108 एंबुलेंस सेवा को बुलाया गया, जिसके माध्यम से पहले घायल युवक को पाली अस्पताल लाया गया।

वहां प्राथमिक उपचार किया गया। हालत गंभीर होने के कारण उसे उमरिया जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। युवक किन परिस्थितियों में चलती ट्रेन से गिरा यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि, प्रारंभिक जांच और कयासों के आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि घनश्याम संभवत: ट्रेन के दरवाजे पर बैठा हुआ था और नींद के झोंके में नीचे गिर गया। यह भी हो सकता है कि किसी झटके के कारण संतुलन बिगड़ने से वह ट्रेन से नीचे गिर गया हो। रेलवे प्रशासन फिलहाल मामले की जांच कर रहा है। घायल युवक को सिर और पैर पर गंभीर चोटें आई हैं। डॉक्टरों के अनुसार, उसके शरीर में कई जगह चोटों के निशान हैं, जिससे उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। जैसे ही घटना की जानकारी मिली, जिला अस्पताल प्रशासन ने परिजनों को सूचना दी। खबर मिलते ही घनश्याम के बड़े भाई धन सिंह जिला अस्पताल पहुंचे। हादसे के बाद रेलवे प्रशासन और स्थानीय पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। प्राथमिक रिपोर्ट में यह सामने आया है कि ट्रेन से गिरने का मुख्य कारण संतुलन खोना हो सकता है, लेकिन वास्तविक कारणों की पुष्टि जांच के बाद ही हो पाएगी। जिला अस्पताल के डॉक्टरों के अनुसार, घनश्याम की हालत स्थिर लेकिन गंभीर बनी हुई है, और इलाज जारी है।

जिपं सीईओ ने किया ग्राम पंचायतों का निरीक्षण

पन्ना, देशबन्धु। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत उमराव सिंह मरावी द्वारा सोमवार को पवई क्षेत्र की ग्राम पंचायतों का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने कई विकास कार्यों का निरीक्षण कर अद्यतन प्रगति की जानकारी ली। ग्राम पंचायत उ?ला में मनरेगा अंतर्गत तालाब निर्माण कार्य का जायजा लिया एवं कार्य की गुणवत्ता परखी। सीईओ श्री मरावी ने ग्राम पंचायत कोनी एवं सिरसी के नवीन ग्राम पंचायत अटल सुशासन भवन का निरीक्षण भी किया। इस मौके पर निर्धारित मानकों के तहत उच्च गुणवत्ता के साथ निर्माण कार्य के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सहित उप यंत्री, सरपंच, सचिव एवं रोजगार सहायक को जरूरी निर्देश दिए। जिपं सीईओ द्वारा विभिन्न सामाजिक योजनाओं की भी जानकारी ली गई तथा स्थानीयजनों से संवाद किया गया।

22 मवेशी और छह पिकअप वाहन जब्त

शहडोल, देशबन्धु। पशुओं का अवैध रूप से परिवहन करने वालों के खिलाफ अमलाई पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अमलाई पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए 22 मवेशी और 06 पिकअप वाहन जब्त किया है।

इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार अमलाई थाना प्रभारी जय प्रकाश शर्मा को मुखबिर से मुक्त सूचना मिली थी कि अवैध रूप से मवेशियों का परिवहन किया जाएगा। इस सूचना पर अमलाई पुलिस ने रामपुर गिट्टीहानी खदान के पास नाकाबंदी कर वाहनों की तलाशी का काम शुरू किया। पुलिस ने 06 पिकअप वाहनों में कुल 22 नग मवेशी को बिक्री हेतु क्रूरता पूर्वक ले जाते हुए पाये जाने पर सभी वाहनों ।एवं मवेशियों को जप्त कर

कुल 08 आरोपियों के विरूद्ध बीएनएस, पशु अतिचार अधिनियम एवं म0प्र0 कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। अमलाई थाना प्रभारी जय प्रकाश शर्मा ने बताया कि जिन वाहनों को जप्त किया गया है उनमें एमपी 18 जेडडी 7448, एमपी 52 जेडए 9139, एमपी 65 जीए 1912, बिना नम्बर के पिकअप, एमपी 18 जेडए 1345 और एमपी 18 जेडई 8176 हैं।

उन्होंने बताया कि इस मामले में मोहम्मद शहिद खान निवासी सतना, मोहम्मद शेख जमील निवासी पेण्ड्रा, मोहम्मद रफीक निवासी केशवाही बुढार, शाहरूख अंसारी निवासी धनपुरी, अनुराग गौतम निवासी गिरवा अमलाई, मोहम्मद हसनैन निवासी केशवाही, अब्दुल रहमान उर्फ बल्लू निवासी कोतमा अनूपपुर और साजिद निवासी कोतमा अनूपपुर आरोपी हैं।

उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी अमलाई जय प्रकाश शर्मा के नेतृत्व में उप निरीक्षक महेन्द्र शुक्ला, सउनि. दीपक तिवारी, प्रधान आरक्षक नारेन्द्र सिंह, जयवेन्द्र सिंह और संतोष सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

झूले में कस गया फंदा, बालक की मौत

शहडोल, देशबन्धु। झूला झूलना एक 11 वर्षीय बालक के मौत का कारण बन गया। झूला झूलने के दौरान बालक को फांसी लग गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार 11 वर्षीय राजकुमार सिंह अपने मामा के घर ग्राम जरहा में रहकर पढ़ाई करता था। घर के पास एक पेड़ में कपड़े का झूला लगा हुआ था, जिसमें बच्चे झूला करते थे।

इस झूले में राजकुमार भी झूल रहा था। इसी दौरान उसकी गर्दन कपड़े में फस गई और फांसी लग गई। कुछ ही पल में राजकुमार की मौत हो गई। वहां कुछ और बच्चे भी झूला झूल रहे थे, लेकिन राजकुमार की हालत देख वे डरकर मौके से भाग खड़े हुए।

जानकारी के अनुसार, राजकुमार जब घर काफ़ी देर तक घर वापस नहीं आया तो कुछ समय बाद उसके मामा और अन्य परिजन मौके पर पहुंचे। उन्हें राजकुमार का गला फंदे में फंसा देख उसे निकाल नजदीकी अस्पताल ले गए। लेकिन अस्पताल में डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस हृदय विदारक घटना से गांव में मातम पसर गया। सोहागपुर थाना प्रभारी भूपेंद्र मणि पाण्डेय ने बताया कि राजकुमार सिंह पिता विक्रम सिंह उम्र 11 वर्ष निवासी नौगवां थाना बुढार काफी समय से अपने मामा के घर जरहा में रह कर पढ़ाई करता था। घर के पास बच्चे एक पेड़ में रस्सी का झूला बनाए थे, जिसमें झूलते वक्त राजकुमार की गर्दन फंस गई और उसकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि मामले में मर्ग कायम किया गया है।

जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक

पन्ना, देशबन्धु। कलेक्टर सुरेश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्टर कार्यालय के सभागार में जिला स्तरीय अनुसूचित जाति-जनजाति सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक हुई। इस अवसर पर वर्तमान वित्तीय वर्ष के छात्रवृत्ति प्रकरणों के निराकरण, बजट मांग, जाति प्रमाण पत्र एवं राहत राशि वितरण सहित आवश्यक एवं अधिक समय से लंबित मामलों में परीक्षण कर शीघ्र कार्यवाही इत्यादि के संबंध में जरूरी चर्चा की गई। कलेक्टर ने कहा कि एट्रोसिटी एक्ट में दर्ज मुकदमों में समस्याओं का त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जाए। प्रकरण दर्ज होने पर त्वरित रूप से तहरीर की कार्यवाही करें। संबंधित फरियादी से आवश्यक जानकारी प्राप्त कर समय पूर्व जरूरी समन्वय का कार्य भी किया जाए। विशेष लोक अभियोजक एवं अन्वेषण अधिकारी की नियुक्ति व सजा में पैरवी सहित यात्रा भत्ता बजट के लिए समय पर मांग पर प्रेषित करने के निर्देश भी दिए।

जिला कलेक्टर ने अत्याचार निवारण नियम 1995 के तहत गठित समिति की बैठक में गत बैठक के पालन प्रतिवेदन पर चर्चा कर वर्ष 2024-25 में अनुसूचित जाति व जनजाति श्रेणी के मामलों में राहत प्रकरणों की स्वीकृति व भुगतान राशि वितरण की जानकारी ली। बताया गया कि एक अप्रैल 2024 से अब तक कुल प्राप्त 308 प्रकरणों में से 247 प्रकरणों में एक करो? 52 लाख 68 हजार 750 रूपए की राशि का वितरण किया जा चुका है। इस दौरान अन्य आवश्यक विषयों पर भी चर्चा हुई।

सम्पत्ति कर, जल प्रभार एवं अन्य उपभोक्ता प्रभार में अधिभार में छूट

पन्ना, देशबन्धु। नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 की अवधि में सम्पत्ति कर, जल प्रभार एवं अन्य उपभोक्ता प्रभार के अधिभार में उपभोक्ताओं को छूट देने का निर्णय लिया है। यह छूट उपभोक्ताओं को 31 मार्च 2025 तक ऑनलाइन भुगतान की दशा में की जाएगी।

इस संबंध में विभाग ने नगर पालिक निगम, नगर पालिका परिषद और नगर परिषद को पत्र लिखकर निर्देश जारी किए हैं। वर्ष 2024-25 वित्तीय वर्ष की कर वसूली 31 मार्च 2025 तक ही हो सकेगी। वर्तमान में 15वें वित्त आयोग की शर्तों के अनुसार प्रति वर्ष सम्पत्ति कर की वसूली में राज्य की ग्रास स्टेट डॉमिस्टिक प्रोडक्ट (जीएसडीपी) की औसत वृद्धि के अनुरूप वृद्धि किया जाना अनिवार्य है।

इस स्थिति को देखते हुए वृद्धि न किए जाने की स्थिति में संबंधित नगरीय निकायों को 15वें वित्त आयोग के अनुदान से वंचित होना प? सकता है। नगरीय निकायों को अपने क्षेत्र के उपभोक्ताओं को समस्त प्रकार के करों की वसूली नियत समय में किए जाने के लिए जागरूक करने के लिये कहा गया है।

संगीतमय रामकथा का पांचवा दिन

शहडोल, देशबन्धु। मनोज ट्रेडिंग कंपनी एवं मनोज टीवीएस परिवार द्वारा आयोजित संगीतमय श्रीराम कथा के पंचम दिवस सोमवार को आयोध्या दर्शन, राजतिलक की तैयारी, राम वनगमन एवं केवट संवाद के प्रसंग को कथा व्यास पंडित बद्री प्रपन्नाचार्य जी महाराज द्वारा सुंदर और सुमधुर रूपो में सचित्र झांकी के साथ श्रोताओं को रसपान कराया गया।

कथा व्यास पंडित बद्री प्रपन्नाचार्य जी महाराज द्वारा पंचम दिवस के कथा में श्रीराम जी के वन गमन एवं केवट संवाद की महिमा को विस्तार से संगीतमय बताया। संगीतमय श्रीराम कथा को सुनने बड़ी संख्या में श्रीराम चरित्र मानस के प्रेमी शुभम पैलेस पहुंच रहे है।

श्रीराम कथा के व्यासपीठ बद्री प्रपन्नाचार्य महाराज ने श्रीराम कथा में भगवान श्रीराम की माता सीताजी के साथ जनकपुर से विदाई, अयोध्या दर्शन एवं वन गमन के प्रसंग में बताया कि जब तक जीवन वैराग्य नहीं होगा, तब तक रामराज्य की स्थापना नहीं हो पाएगी।

उठते बैठते सोते जागते हर क्षण भगवान से श्रीराम का नाम लेना चाहिए।राम वन गमन की कथा एवं केवट के ऊपर भी रामजी कृपा करते हैं।कथा में उन्होंने सभी से आह्वान किया कि पहली रोटी गाय माता के लिए निकालनी चाहिए। महाराज जी के द्वारा प्रभु श्रीराम के कथा को सुंदर रूप में सुनाया जा रहा है। श्रीराम कथा का प्रसंग सुनने के लिए श्रीराम जानकी मंदिर बुढार के महंत स्वामी राम बालक दास महाराज का आगमन हुआ।

श्रीराम कथा शुरू होने से पहले वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मुख्य श्रोता बब्बीबाई गुप्ता एवं आयोजक मनोज टीवीएस परिवार के हनुमान प्रसाद, राजेश गुप्ता, मनोज गुप्ता, योगेश गुप्ता, हिमांशु गुप्ता, शिवांश गुप्ता एवं अक्षत गुप्ता ने व्यास पीठ एवं व्यासजी का

पूजा अर्चना किया। चित्रकूट धाम से पधारे रामचरितमानस के मर्मज्ञ कथा व्यास पंडित बद्री प्रपन्नाचार्य महाराज ने स्वागत पश्चात श्रीराम कथा में आयोध्या दर्शन, राजतिलक की तैयारी, राम वनगमन एवं केवट संवाद के प्रसंग का रसपान श्रोताओं को कराया गया। श्रीराम कथा के दौरान महाराज जी का साथ संगीत मंडली ने सुमधुर भजनों के साथ कर्ण प्रिय व मनमोहक भजन ने पूरे परिसर को भक्तिमय कर दिया।

सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण की प्रतिदिन करें समीक्षा : कलेक्टर

पन्ना, देशबन्धु। कलेक्टर सुरेश कुमार ने कहा है कि सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समस्त जिला अधिकारी प्रतिदिन शिकायतों के निराकरण एवं प्रगति की समीक्षा करें। जिला स्तरीय कन्ट्रोल रूम के माध्यम से भी सभी एल-1 स्तर के अधिकारी एवं संबंधित जिला अधिकारियों को सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के त्वरित निराकरण के संबंध में आवश्यक सूचना दी जाए।

जिला कलेक्टर ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में विभागवार लंबित सीएम हेल्पलाइन सहित साप्ताहिक समयावधि पत्रों, जनसुनवाई के प्रकरणों, लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत नागरिक सेवाओं के समय पर प्रदाय और शासन के महत्वपूर्ण पत्रों पर कार्यवाही की समीक्षा की। जिला कलेक्टर ने टीएल बैठक में फरवरी माह की रैंकिंग में डी श्रेणी के विभागों के अधिकारियों को अविलंब शत प्रतिशत प्रकरणों का प्रभावी तरीके से निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

साथ ही मार्च माह की लंबित शिकायतों के प्रकरणों का भी समय पर निराकरण के लिए समुचित प्रयास करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने बजट के अभाव में लंबित शिकायतों के तत्काल निराकरण के लिए आवश्यक प्रस्ताव प्रेषित करने के निर्देश भी दिए। इसी तरह खाद्य विभाग अंतर्गत 835 लंबित शिकायतों के प्रभावी निराकरण के लिए समस्त कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के साथ समन्वय कर शिकायतों का शीघ्रता से निराकरण करने के लिए कहा। ऊर्जा, नगरीय विकास एवं आवास, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, राजस्व विभाग सहित आरटीओ की 15 शिकायतों के निराकरण के निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने शिक्षा विभाग के अधिकारी को सेवानिवृत्त शिक्षक एवं अधिकारी-कर्मचारियों के अर्जित अवकाश नगदीकरण से संबंधित लंबित 44 शिकायतों के अविलंब निपटारा के निर्देश भी दिए।

साथ ही समस्त बीएमओ को आशा कार्यकर्ता सहित समस्त अधीनस्थ मैदानी कर्मचारियों के माध्यम से स्वास्थ्य योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए निर्देशित करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर द्वारा समस्त राजस्व अधिकारियों को इस सप्ताह अधिकतम राजस्व प्रकरणों के निराकरण तथा पटवारियों के प्रतिवेदन चेक करने के निर्देश भी दिए गए।

एल-1 स्तर पर शिकायत अटेंड न करने पर जताई नाराजगी

कलेक्टर ने टीएल बैठक में सीएम हेल्पलाइन अंतर्गत बार-बार निर्देश के बावजूद एल-1 स्तर पर शिकायत अटेंड न करने वाले अधिकारियों पर पुन: नाराजगी जताई। इस क्रम में चार अधिकारियों क्रमश: जनपद पंचायत सीईओ रोहित मालवीय एवं सतीष नागवंशी, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी कमल किशोर चौबे एवं विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी सर्वेश लोधी के विरूद्ध संभागायुक्त को कार्यवाही का प्रस्ताव प्रेषित करने के लिए कहा।

इसी तरह कृषि विभाग अंतर्गत फसल बीमा की मामलों में समन्वय के साथ लंबित प्रकरण का निराकरण नहीं करने पर संबंधित अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही के लिए विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र प्रेषित करने के निर्देश भी दिए। टीएल बैठक में स्थानीय निकायवार पेंशन हितग्राहियों के ई-केवायसी कार्य में तेजी लाने, स्वरोजगारमूलक प्रकरणों में अधिकतम पात्र हितग्राहियों को समय सीमा में लाभ प्रदान करने तथा बैंक स्तर पर समन्वय कर प्रकरणों के निराकरण के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि विभिन्न विभागों के गत वर्ष में जिला कोषालय के माध्यम से असफल ई-भुगतान प्रकरणों का एक सप्ताह में निराकरण किया जाए। कोषालय सॉफ्टवेयर पर शासकीय सेवकों के एम्पलाई आईडी का समग्र से सत्यापन कार्य भी शीघ्र पूर्ण किया जाए अन्यथा कारण बताओ नोटिस जारी होंगे। जिला स्तर पर ई-ऑफिस के सफल क्रियान्वयन के लिए जरूरी कार्यवाही तथा आगामी दिवसों में विभागीय अधिकारियों के प्रशिक्षण के निर्देश भी दिए।